रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1006/2026/2329/22-2-2025-17(683)/2025

लखनऊ: दिनांक: 24 जुलाई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय मौर्या (बन्दी संख्या-112/2016) पुत्र श्री राम बुझारत मौर्या, निवासी-गोपालपुर, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-सुलतानपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-238/2011, में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 4डी0पी0 एक्ट में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0), सुलतानपुर के दण्डादेश दिनांक 23.07.2016 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.04.2025 तक अपरिहार 13 वर्ष 10 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 08 माह 26 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-1006/2026/2329(1)/22-2-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर।

3- पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, सुलतानपुर।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।